



**जोधपुर विद्युत  
वितरण निगम  
लिमिटेड**

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी-पी)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा /प्रे. २०२१ दि. ०१.०२.०८

**-: शुद्धि - पत्र :-**

विषय: "विद्युत अधिनियम-२००३" में निहित प्रावधानानुसार प्रशमन राशि (Compounding charges) एवं सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की गणना कर नोटिस जारी करने के प्रपत्र (Format) में संशोधन।

उपरोक्त विषय में निगम द्वारा आदेश क्रमांक जो.वि.वि.नि.लि./अ.प्र.नि./मु.अ.(सी-पी)/अ.अ.(आर.ए.वा.)/फा/प्रे. १६४४ दिनांक १४.११.०७ जारी किया गया था। इस आदेश के साथ प्रथम बार बिजली चोरी का अपराध प्रशमन (Compoundable) योग्य होने के कारण उस अपराध की कम्पाउण्डिंग हेतु उस व्यक्ति को दिये जाने वाले नोटिस का संशोधित प्रपत्र (Proforma), भी प्रेषित किया गया था।

उपरोक्त संशोधित प्रपत्र (Proforma) माननीय विशिष्ट न्यायालय (Special Courts) द्वारा अभी भी अधूरा माना जाकर उनके द्वारा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि का निर्धारण नहीं किया जा रहा है क्योंकि इसमें निहित शब्द "जुर्माना" को सही नहीं माना है।

उपरोक्त संदर्भ में पुनः विचार विमर्श करके उक्त प्रपत्र (Proforma) में फिर से संशोधन कर संशोधित प्रपत्र अनुलग्नक -१ के अनुसार जारी किया जाता है। "जुर्माना" शब्द को "प्रशमन (Compounding)" शब्द से प्रतिस्थापित किया गया है। भविष्य में इसी संशोधित प्रपत्र (Proforma) में नोटिस जारी किये जावें। साथ ही यह भी सुनिश्चित करें कि इस नोटिस में प्रशमन (Compounding) राशि के अलावा सिविल लायबिलिटी (Civil Liability) की राशि भी अंकित कर दी गई है।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

(अनुलग्नक - "१")

आज्ञा से

(ए.एम. लोढ़ा)

मुख्य अभियन्ता (सी. एण्ड पी.)

जोधपुर डिस्कॉम, जोधपुर

पेज ०२ का ०१

जोधपुर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, जोधपुर  
कार्यालय जांच अधिकारी

क्रमांक : जो.वि.वि.नि.लि./स.अ./सतर्कता/एफ /प्रे.

दि.

नोटिस

प्रेषित,

श्री

ग्राम

खाता संख्या

श्रेणी

पुत्र श्री

तहसील/जिला

वीसीआर नम्बर

सम्बद्ध भार

पुलिस थाना

दिनांक

स्वीकृत भार

नाम जांच अधिकारी सहायक अभियन्ता /सतर्कता, जो.वि.वि.नि.लि., . . . . .।  
आपके . . . . . स्थित कृषि/घरेलू/औद्योगिक/व्यावसायिक परिसर में दिनांक . . . . .  
को सतर्कता जांच करने पर आपके द्वारा विद्युत अधिनियम 2003 के अन्तर्गत निम्नांकित अपराध  
करना पाया गया:-

1. बिना वैध कनेक्शन के विद्युत का अनाधिकृत उपभोग।
2. मीटर से छेड़छाड़ कर अनाधिकृत उपभोग।
3. मीटर/केबिल/ट्रांसफार्मर से छेड़छाड़ व उसको नुकसान पहुंचाकर मीटरिंग को बाधित करना।
4. अन्य।

इस सम्बंध में सतर्कता जांच प्रतिवेदन संख्या ————— दिनांक ————— तैयार किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है।

आपको इस नोटिस के माध्यम से आगाह किया जाता है कि विद्युत अधिनियम 2003 की धारा 152 के अन्तर्गत आपको, प्रथम अपराध के लिए, प्रशमन का अधिकार प्राप्त है, आप चाहें तो उक्त अपराध का प्रशमन कराने के लिए रु. ————— प्रशमन (Compounding) राशि सात दिवस के भीतर सहायक अभियन्ता ( ) जो.वि.वि.नि.लि., ————— के कार्यालय में जमा करवा सकते हैं अन्यथा आपके विरुद्ध सिविल लाईबिलिटी की राशि रुपये ————— वसूल करने के लिए विशेष न्यायालय, विद्युत अपराध के माध्यम से नियमानुसार कानूनी कार्यवाही की जावेगी।

जांच अधिकारी  
(सतर्कता अधिकारी)

प्रतिलिपि:-

1. सहायक अभियन्ता ( ) जो.वि.वि.नि.लि., —————।

जांच अधिकारी